

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:प 2(30)नवि/3/2016

जयपुर,दिनांक:

22 AUG 2017

समस्त आयुक्त/सचिव
विकास प्राधिकरण/नगर सुधार न्यास/
राजस्थान आवासन मण्डल/नगर निगम

विषय:- मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना 2017 में आने वाली कठिनाईयों के निराकरण हेतु माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में गठित एम्पावर्ड कमेटी द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर कमेटी द्वारा दिये गये मार्गदर्शन प्रदान करने बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में विभिन्न प्राधिकरण/न्यासों/आवासन मण्डल द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर माननीय मंत्री महोदय नगरीय विकास विभाग की अध्यक्षता में गठित एम्पावर्ड कमेटी द्वारा लिए गये निर्णय की अनुपालना में विभिन्न बिन्दुओं पर मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार समस्त प्राधिकरण/न्यास/आवासन मण्डल/नगर निगम/नगर पालिका/परिषद प्रदत्त किये गये मार्गदर्शन अनुसार कार्यवाही करे।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम (Joint Secretary-I)
Urban Development & Housing Department
Government of Rajasthan, Jaipur

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
 2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
 3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
 4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन मण्डल विभाग, जयपुर।
 5. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 6. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
 7. आयुक्त अधिशाषी अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिका (समस्त)
 8. संभागीय आयुक्त (समस्त) राजस्थान।
 9. जिला कलेक्टर (समस्त) राजस्थान।
 10. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
 11. वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
 12. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को उक्त अधिसूचना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
 13. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण/अजमेर विकास प्राधिकरण।
 14. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
 15. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)।
 16. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

